संख्या-1344/14-2-2014-600(68)/2012

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 2015**

विषय:- जनपद मेरठ में उपशा द्वारा मेरठ-करनाल मार्ग एस0एच0 82 किमी0 3.6 से 15.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.78 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 36 वृक्षों के पातन एवं 28.50 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3317 वृक्षों के पातन तथा वृक्षारोपण वर्ष 2006, 2007 एवं 2009 के 9000 पौधों की क्षति, कुल 29.28 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12353 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या- 1724/11सी-मेरठ, दिनांक 18-3-2015 तथा भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/109/2013/एफसी/914 दिनांक 23-8-2013 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/109/2013/एफसी/ 1747 दिनांक 13-3-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मेरठ में उपशा द्वारा मेरठ-करनाल मार्ग एस0एच0 82 किमी0 3.6 से 15.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.78 हे0आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 36 वृक्षों के पातन एवं 28.50 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3317 वृक्षों के पातन तथा वृक्षारोपण वर्ष 2006, 2007 एवं 2009 के 9000 पौधों की क्षति, कुल 29.28 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12353 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण, एवं मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों एवं राज्य सरकार की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का समावेश करते हुये विज्ञप्ति (Notification) निर्गत किया जाता है:-

(1) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग को वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के बदले दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 58.56 हे0 पर क्षातिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा।

(3) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा आई0आर0सी0 दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर शहर को छोड़ते हुए 1-2 पंक्ति में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं केन्द्रीय विभाजक पट्टी में झाड़ीदार वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसका रखरखाव रखरखाव 10 वर्षो तक किया जायेगा।

(4) भा0स0 अगर शुद्व वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

shasanadesh.up.nic.in/govt/mra

(5) भा0स0 परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(6) भा0स0 प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(7) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को

(9) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) भा0स0 प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन सड़क की बाहरी सीमा पर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी सूचना भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को भी दी जायेगी।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(12) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा एक पौधा नर्सरी की स्थापना की जायेगी। इस पौधशाला में एक वर्ष में एक लाख पौधे उगायें जायेगे।

(13) भा0स0 उपशा द्वारा दी गयी सारी वचनबद्धता लोक निर्माण विभाग के लिये लागू होगी।

(14) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(15) भा0स0 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक- 11-98/-एफसीदिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(16) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं लम्बित आदि जनजाति/ प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(17) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

(18) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(19) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक

shasanadesh.up.nic.in/godirtra

वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(20) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(21) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(22) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(23) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(24) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग फैलिंग लागिंग एवं एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(25) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(26) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(27) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in/gomtra

संख्या-1344 (1)/14-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज विस्तार लखनऊ।

(2)- प्रमुख सचिव आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0शासन।

(3)- प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उ0प्र0शासन।

(4)- वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ।

(5)- जिलाधिकारी मेरठ।

(6)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ।

(7) अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मेरठ।

(8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण मण्डी भवन विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

(9)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra